न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1117/2024

अनवान : –

1. रामस्वरूप नांदेवाल पुत्र मुंशी राम नांदेवाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. ओम प्रकाश कुम्हार पुत्र मुन्शी राम कुम्हार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 28/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 227/203 की कुल 1.0240 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के तथा रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 65/730 की कुल 5.0840 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के नाम तथा 1/3 हिस्सा भूमि वादी स0 2 के नाम दर्ज है।

उक्त वाद भूमि में वादी स0 1 का नाम रामस्वरूप पुत्र मुन्शीराम व वादी स0 2 का नाम ओमप्रकाश पुत्र मुन्शीराम दर्ज है जबकि वादीगण का सही व वास्तविक नाम क्रमशः रामस्वरूप नांदेवाल पुत्र मंशी राम नांदेवाल व ओम प्रकाश कुम्हार पुत्र मुन्शी राम कुम्हार हैं राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मुताबिक दस्तावेजात अपना नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। । प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की व साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में वादी स0 1 का नाम रामस्वरूप पुत्र मुन्शीराम व वादी स0 2 का नाम ओमप्रकाश पुत्र मुन्शीराम दर्ज है जबकि वादीगण का सही व वास्तविक नाम क्रमशः रामस्वरूप नांदेवाल पुत्र मंशी राम नांदेवाल व ओम प्रकाश कुम्हार पुत्र मुन्शी राम कुम्हार है राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मुताबिक दस्तावेजात अपना नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:02:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 227/203 की कुल 1.0240 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के तथा रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 65/730 की कुल 5.0840 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के नाम तथा 1/3 हिस्सा भूमि वादी स0 2 के नाम दर्ज है। उक्त वाद भूमि में वादी स0 1 का नाम रामस्वरूप पुत्र मुन्शीराम दर्ज है एवं वादी स0 2 का नाम ओमप्रकाश पुत्र मुन्शीराम दर्ज है। वादीगण का सही व वास्तविक नाम क्रमश रामस्वरूप नांदेवाल पुत्र मंशी राम नांदेवाल व वादी स0 2 का सही व वास्तविक नाम ओम प्रकाश कुम्हार पुत्र मुन्शी राम कुम्हार है। अत वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 227/203 की कुल 1.0240 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में वादी स0 1 का नाम रामस्वरूप पुत्र मुन्शीराम के स्थान पर रामस्वरूप नांदेवाल पुत्र मुंशी राम नांदेवाल तथा रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 65/730 की कुल 5.0840 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी स0 1 का नाम वादी स0 1 का नाम रामस्वरूप पुत्र मुन्शीराम के स्थान पर रामस्वरूप नांदेवाल पुत्र मुंशी राम नांदेवाल तथा 1/3 हिस्सा भूमि में वादी स0 2 का नाम ओमप्रकाश पुत्र मुन्शीराम के स्थान पर ओम प्रकाश कुम्हार पुत्र मुन्शी राम कुम्हार का संशोधन किया जाता है। यदि नाम दुरूस्ती के संबंध में वादी ने कोई तथ्या छुपाया है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:02:05 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1117/2024

अनवान : –

1. रामस्वरूप नांदेवाल पुत्र मुंशी राम नांदेवाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. ओम प्रकाश कुम्हार पुत्र मुन्शी राम कुम्हार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955 प्र0स0 1117 वर्ष 2024 निर्णय दिनांक 28/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 227/203 की कुल 1.0240 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में वादी स0 1 का नाम रामस्वरूप पुत्र मुन्शीराम के स्थान पर रामस्वरूप नांदेवाल पुत्र मुंशी राम नांदेवाल तथा रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 65/730 की कुल 5.0840 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी स0 1 का नाम वादी स0 1 का नाम रामस्वरूप पुत्र मुन्शीराम के स्थान पर रामस्वरूप नांदेवाल पुत्र मुंशी राम नांदेवाल तथा 1/3 हिस्सा भूमि में वादी स0 2 का नाम ओमप्रकाश पुत्र मुन्शीराम के स्थान पर ओम प्रकाश कुम्हार पुत्र मुन्शी राम कुम्हार का संशोधन किया जाता है। यदि नाम दुरूस्ती के संबंध में वादी ने कोई तथ्या छुपाया है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 28/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:02:05 IST
Reason: SelfAttested